तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/6/18	पत्रावली पेशकोर्ट में नजदीक सुनवाई है। प्रश्नगत आपत्ति का मूलवाद में वादी अधिवक्ता हुये। उभय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आ० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.5.18 को पारी आख्या निरीक्षण कोर्ट फैसला वापस स्थाई (Confirm) किया जाता है। निगरानी नि०/नि पृथक से निस्तारण जारी कर नि०/नि निगरानी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म। SDOM

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/46/18

बउनवान

1. मोरध्वज पुत्र सोहनलाल जाति माली
2. भीमसिंह पुत्र सोहनलाल जाति माली
3. विजयसिंह पुत्र सोहनलाल जाति माली
4. समयसिंह पुत्र सोहनलाल जाति माली

निवासीयान ग्राम दारौदातहसील कठूमर जिला अलवर

—— सायलान

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र मंगतू जाति माली निवासी दारौदा
2. हरीसिंह पुत्र मंगतू जाति माली निवासी दारौदा
3. सोमोती पत्नी मंगतू जाति माली निवासी दारौदा
4. कमलेश पुत्री मंगतू पत्नी चिण्टू जाति माली निवासी दारौदा हाल कामा दरवाजा डीग जिला भरतपुर
5. प्रेम पुत्री मंगतू पत्नी शेरसिंह जाति माली निवासी दारौदा हालवासी बल्लभगढ रोड भुसावर
6. पिंकी पुत्री मंगतू पत्नी पुष्कर जाति माली निवासी दारौदा हालवासी बल्लभगढ रोड भुसावर
7. मंगतू पुत्र मोहरसिंह जाति माली
8. योगेश पुत्र दीपचन्द जाति माली
9. उमेश पुत्र दीपचन्द जाति माली
10. मेघश्याम पुत्र दीपचन्द जाति माली

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

11. जगदीश पुत्र दीपचन्द जाति माली
12. दयाली पुत्र दीपचन्द जाति ब्राहमण
13. सियाराम पुत्र भगवान जाति ब्राहमण
14. ताराचन्द पुत्र भगवान जाति ब्राहमण
15. टीकम पुत्र भगवान जाति ब्राहमण
16. दयाचन्द पुत्र भगवान जाति ब्राहमण
17. महेन्द्रकपूर पुत्र भगवान जाति ब्राहमण
18. जवाली पुत्र चन्दर जाति माली
19. हुकम पुत्र बसन्ती जाति माली
20. निरंजन पुत्र हुकम जाति माली

    निवासीयान ग्राम दारौदा तहसील कठूमर

21. उप पंजीयक कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री सुभाषचन्द अर्रुवा :– अधिवक्ता सायलान

श्री रतनसिंह राजपूत

श्री रामजीलाल शर्मा : अधिवक्तागण गैरसायलान

आदेश दिनांक 15.06.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 403, 402, 509, 510, 512, 407, 408 वाके ग्राम दारौदा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी का अर्सा करीब 30 साल पूर्व घरेलु वंटवारा हो गया था। जिस घरू वंटवारा का सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के उप पैरा सं0 क ला0 ड में अंकित किया है। जिस घरू वंटवारा के अनुसार सायलान ने विवादित आराजी का तकासमा कराने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

जिस घरू वंटवारे के अनुसार सायलान एंव गैरसायलान विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त व उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। सायलान ने अपने हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी खसरा नम्बर 512 रकवा 0.96 हे0 के 1/2 हिस्सा तर्फ उत्तर में सायलान ने बेरी व नींबू का बाग लगा रखा है बोरिंग लगा रखी है। जिस पर सायलान के पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। सायलान के पिता की समाधि बनी हुई है। एक कमरा बना हुआ है। छप्पर डला हुआ है तथा एक पानी की टंकी बनी हुई है। जिस पर आज पडौस के व राहगीर पानी पीते है तथा खसरा नम्बर 403 रकवा 0.72 हे. के 1/8 हिस्सा तर्फ पश्चिम के वीच में सायलान की चौतर्फा बाउण्ड्री निर्माण हो रही है जिससे गेरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान अपने घरू वंटवारे में आई आराजी पर काविज है व उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। गैरसायलान लडाकू व्यक्ति है जो घरू वंटवारा को मानने को तैयार नहीं है। गैरसायलान सायलान के हक हिस्सा व कब्जे में आई आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा विना कानूनी तकासमा कराये ही दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान का अपार हानि क्षति व असुविधा होगी। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक आराजी खसरा नम्बर 512 के 1/2 हिस्सा तर्फ उत्तर, खसरा नम्बर 403 के 1/6 हिस्सा तर्फ पश्चिम वाके ग्राम दारौदा हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने व कानूनी तकासमा होने तक दीगर लोगों को रहन वय ना करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीयान के नजदीक सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ लोक अदालत में पेश हुआ। वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने विवादित आराजी को मौके पर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के अनुसार घरू वंटवारा होना व इसी अनुसार अलग अलग काश्त करना कथन किया व सायलान के हक हिस्सा में सायलान के कवजे काश्त में बाधा पैदा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

ना करने वेदखल ना करने व रहन वय ना करने हेतु गैरसायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पात्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। विवादित आराजी अवट है शामलात में काश्त हो रही है राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। सायलान कीमती व अच्छी जमीन को अपनी बताकर हडपना चाहते है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है एक सहखातेदार काश्तकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 नक्शा ट्रेस व सिंचाई प्रमाण पत्र वाके ग्राम दारौदा की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। विवादित आराजी जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम दारौदा में विवादित आराजी पक्षकारान के नाम शामलात खातेदारी में दर्ज है। सायलान ने विवादित आराजी को घरूवंटवारा के अनुसार वंटा हुआ कथन किया है जवकि गैरसायलान विवादित आराजी को अवट व शामलात खातेदारी व शामलात में काश्त करना बताते है। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी पक्षकारान की शामलात में काश्त होने का अनुमान किया जाता है। शामलात खातेदारी की आराजी में एक दूसरे पक्षकार को कब्जे काश्त में बाधा पैदा करना या रहन वय करना गैरकानूनी है। यदि गैरसायलान ने सायलान को उनके हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या रहन वय कर दिया तो अपार हानि असुविधा व क्षति सायलान को होना संभव है। गेरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में प्रवल है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 512–403 वाके ग्राम दारौदा तहसील कठूमर में सायलान के हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करें। वेदखल ना करे तथा रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें। राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन ना करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 15.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner